

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1861 / 2014

जिला - जयपुर

उनवान : मैसर्स आशीर्वाद एण्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवर्चन, राजस्थान-वृत्त-द्वितीय, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

तारीख  
हुक्म

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

10.11.2014

अपीलार्थी के ओर से श्री अलकेश शर्मा, अभिगाणक व एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बेद उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवर्चन, राजस्थान- वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित किया गया है में कायम मांग राशि में से 9,72,220/- के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर रु. 5,60,658/- पर स्थगन प्रदान किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत शेष रही स्थगन हेतु राशि पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य वर्ष के पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2014 में रु. 14,01,646/- की मांग सुजित की है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु राशि 9,72,220/- को विवादित करने अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि में से 5,60,658/- पर स्थगन प्रदान किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश के अनुसार स्थगन हेतु शेष राशि रु. 4,11,562/- रहती है जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रु. 8,15,487/- का स्थगन चाहा गया है, जो अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये स्थगन आदेश में वर्णित राशि से भिन्न है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पर को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य शेष राशि रु. 4,11,562/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप



समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पत्तावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य

  
(राकेश श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष